

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं०-30/2021

धारा-144 दं०प्र०सं०

ईदु गियां-बनाम-मुस्लिम गियां वगै०

तारीख	-आदेश-	अभियुक्ति
	<p>आवेदक के आवेदन के अधार पर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षो को नोटिस निर्गत करते हुए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु निदेशित किया गया। जिसके पश्चात उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए अपना-अपना कारण पृच्छा दाखिल किया।</p> <p>प्रथम पक्ष ने अपना कारण पृच्छा दाखिल किया जिसमें इन्होंने कहा कि मौजा कोनहरा खुर्द, थाना बरकटडा खाता सं०-03 प्लॉट सं०-240 रकवा 04 डी० जिसकी चौहदी उ०-अजीज गियां,द०-मकबुल गियां एवं आशिक गियां,पू०-सलीम गियां प०-इदु गियां एवं खाता सं०-08 प्लॉट-236,238 रकवा 2.84 डी० जिसकी चौहदी उ०-सोमर गियां,द०-नीज 240 प्लॉट,पू०-मुस्लिम गियां,प०-निज है,जो तमीन पुवर्जो के समय से बदलेन के आधार पर दखल-कब्जा मे चला आ रहा है।</p> <p>प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन मे केवाला एवं रसीद का छायाप्रति दाखिल किया है।</p> <p>द्वितीय पक्ष ने अपना कारण पृच्छा दाखिल किया जिसमें इन्होंने कहा कि वाद में वर्णित विवादित भूमि जिसका खाता सं०-03, प्लॉट सं०-240रकवा 04डी० जिसकी चौहदी उ०-अजीज गियां,द०-मकबुल गियां एवं आशिक गियां,पू०-सलीम गियां,प०-इदु गियां एवं खाता सं०-08,प्लॉट-236,238 रकवा 2.84 डी० जिसकी चौहदी उ०-सोमर गियां,द०-नीज 240 प्लॉट,पू०-मुस्लिम गियां,प०-निज वाली भूमि पर जान बुक्षकर वाद लाया गया है।</p> <p>उभय पक्षों के कारणपृच्छा के अवलोकन तथा दोनों पक्षों के बयान को सुनने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि खाता सं०-03, प्लॉट सं०-240 रकवा 04 डी० जिसकी चौहदी उ०-अजीज गियां, द०-मकबुल गियां एवं आशिक गियां, पू०-सलीम गियां, प०-इदु गियां एवं खाता सं०-08,प्लॉट-236,238 रकवा 2.84 डी० जिसकी चौहदी उ०-सोमर गियां, द०-नीज 240 प्लॉट, पू०-मुस्लिम गियां, प०-निज पुर्वजों द्वारा पारस्परिक रूप से बदलेन की गई है जिस पर दोनों पक्षों द्वारा अपनी-अपनी सहमति तथा हलफनामा/बांड पेपर दर्ज किया है।</p> <p>अतः उक्त सहमति एवं उभय पक्षों से प्राप्त शपथ पत्र के आलोक में वाद कि कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है।</p>	
	<p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>Kaw</i> 12/09/21</p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।</p>	<p><i>Kaw</i> 12/09/21</p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।</p>